प्रारूप–3

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या. FP/UK /ROAD /14661/2015

7– परियोजना / स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड ।
(ii) जिला	टिहरी गढवाल ।
(iii) जिला वन प्रभाग	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी ।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	गोरिया कक्ष –13 – 0.10 हे0 द्वारी कक्ष 1 अ – 0.10 हे0 कुल योग – 0.20 हे0
8– पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	वन विभाग के स्वामित्व की भूमि
9– अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा–	संलग्न है।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.1 से कम
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्ताव में संलग्न है।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	–
10– भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार ।
11– वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	आरक्षित वन भूमि के अन्दर ।
12– वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
i – पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं ।
ii – क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रयास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं ।
iii – क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है।(यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं ।
iv – क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवसिति है।। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं ।
v– क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है तो उसके ब्यौरे	नहीं ।
13– क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी.)के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं ।
14– पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि	

के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका– टिप्पणियॉ दें ।	
i – क्या भार–1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है ओर परियोजना के लिये अति न्यूनतम है।	वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
i i – यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है।	–
15– किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :	
i – क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नहीं)	नहीं ।
i i –यदि हॉ , की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नहीं किया गया है।
iii – क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ/नहीं)	नहीं ।
16– क्षतिपूरक वनरोण स्कीम के ब्यौरे :	–
i – क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थिति ।	1.00 है0 से कम भूमि प्रभावित होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नही है ।
ii – अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें ।	उपरोक्तानुसार
iii – क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है।	उपरोक्तानुसार
iv – रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां/नहीं)।	उपरोक्तानुसार
v– क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय ।	उपरोक्तानुसार
vi – क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)।	उपरोक्तानुसार
17–वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हॉ
18– स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें ।	क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं यातायात नियन्त्रण के दृष्टिगत थाना घनसाली भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान – नई टिहरी
दिनांक– 19/03/2016

(आर0पी0मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी